# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

**निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस**

प्रकरण संख्या 05/2016 प्रार्थना पत्र विविध

श्रीमती खुशकुँवर पुत्री अम्बालाल बोर्दिया (जैन) निवासी 23–ए, बोहरा गणेश जी, उदयपुर (राज.)

———————— प्रार्थी

**बनाम**

मनीष परमार पिता अम्बालाल परमार, निवासी 23–ए, बोहरा गणेश जी, उदयपुर (राज.)

———————— अप्रार्थी

**अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावको व वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) प्रकरण संख्या 13/14 प्रा. पत्र निर्णय दिनांक 09.02.16**

## निर्णय

दिनांकः–.....

अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के आदेश दिनांक 09.02.16 से नाराज होकर यह अपील प्रस्तुत की हैं। अपनी अपील में निवेदन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र धारा 5 व 23 अभिभावको व वरिष्ठ नागरीको का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रस्तुत कर 10000/– रूपये मासिक भरण पोषण एवं मोहल्ला पायड़ा, बोहरा गणेश रोड़ शहर उदयपुर में भूखण्ड संख्या 23–ए पर स्थित स्वनिर्मित मकान दो मंजिला जिसका 1/2 हिस्सा मेरे द्वारा रेस्पोडेंट को दिनांक 19/01/12 को जरिये दानपत्र द्वारा दान कर दिया। दान पत्र के बाद रेस्पोडेंट का व्यवहार अपीलार्थीया के प्रति बदल गया हैं। मेरे साथ अभद्र व्यवहार करने लग गये हैं एवं शेष आधा हिस्सा भी अपने नाम कराने हेतु दबाव डालने लग गये हैं।

दिनांक 13.10.14 को करीब 1 बजे रेस्पोडेंट एवं उसकी पत्नि श्वेता दोनो ने मुझ प्रार्थीया को धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भरण पोषण की ईस्तदुआ चाही गई एवं दानपत्र को रद्द घोषित कराये जाने हेतु निवेदन किया गया। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 13/14 भरण पोषण निर्णय दिनांक 09.02.16 से भरण पोषण के प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया कोई दाद प्राप्त करने की अधिकारीता नहीं रखने के कारण खारीज कर दिया। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश न्याय व विधि के अनुकुल नहीं हैं। मामले के तथ्यो एवं विधिक स्थितियों को समझे बिना ही निर्णय पारित कर दिया गया। प्रार्थीया को भरण पोषण हेतु सक्षम माना गया। परन्तु सक्षम का कोई कारण नहीं बताया गया। जबकि अपीलान्ट की उम्र 62 वर्ष होकर वह वृद्धावस्था में होकर वरिष्ठ नागरीक की श्रेणी में आती हैं। धारा 23 के अन्तर्गत उपहार के जरिये कोई सम्पत्ति अन्तरण की हो तो अन्तरण के विकल्प पर अधिकरण द्वारा व्यर्थ घोषित किया जावेगा। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिस शर्त का उल्लेख किया गया है जिसके आधार पर प्रार्थना पत्र खारीज किया है वह पुर्णतया गलत आधारो पर खारीज किया गया हैं। अतः कृपया धारा 5 के तहत 10,000/– माहवार भरण पोषण के एवं धारा 23 के अन्तर्गत दिनांक 19.01.12 से किये गये दानपत्रो को खारीज कराना फरमावें।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा उपस्थित होकर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थीयॉ की उम्र 62 वर्ष होकर वह वृद्धावस्था में होकर वरिष्ठ नागरीक की श्रेणी में आती हैं। वृद्धावस्था में भरण पोषण हेतु कोई स्थायी आय नहीं होने से रेस्पोडेंट जो कि अपीलार्थीया का सगा पुत्र हैं। जिससे भरण पोषण प्राप्त करने की पात्रता भी रखती हैं। जिससे प्रतिमाह 10,000/– रूपये भरण पोषण दिलाये जावें। ताकि इस उम्र में

अपीलार्थीया का जीवन निर्वाह आसानी से हो सके। दवाई इत्यादि पर भी जो खर्चा होता है वो इसमें से वहन कर सके। इसके साथ ही प्रार्थीया ने अपने जीवनकाल में अपनी मेहनत से स्वअर्जित आय से एक भुखण्ड संख्या 23 ए, मोहल्ला पायड़ा, बोहरा गणेश जी रोड़, शहर उदयपुर में खरीद लिया था। जो प्रार्थीया के नाम पर हैं। उक्त भुखण्ड पर भुतल सहित दो मंजिला मकान बना हुआ हैं एवं भुतल मंजिल के नीचे तलघर में एक कमरा व नाल बनी हुई हैं। भूतल मंजिल पर निर्मित कवर्ड भाग का क्षेत्रफल 1872 वर्गफीट हैं। प्रथम मंजिल पर निर्मित कवर्ड भाग का क्षेत्रफल 1628.6 वर्गफीट हैं। उक्त मकान का आधा हिस्सा विपक्षी जो अपने स्वयं का पुत्र है को दिनांक 19.01.12 को जरिये दान पत्र से दान कर दिया। दान पत्र के निष्पादन के पश्चात् रेस्पोडेंट का व्यवहार मेरे साथ और उग्र एवं अभद्र होकर शेष आधा हिस्सा भी अपने नाम करवाने हेतु उतारू हैं। वर्तमान में मेरी आय का कोई जरिया भी नहीं हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को खारीज कर भारी कानुनी भुल की हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 23 इस बिन्दु पर खारीज कर दी की प्रार्थीया ने दान पत्र में ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी कि विपक्षी उसकी सेवा करेगा। जबकि भरण पोषण से तात्पर्य ही आहार वस्त्र निवास और चिकित्सकीय परिचर्चा और उपचार उपलब्ध करवाना हैं। रेस्पोडेंट अपीलार्थी का पुत्र हैं। इस उम्र में यदि उसके द्वारा अपीलार्थीया की सेवा चाकरी नहीं की जाती है तो कब की जावेगी। रेस्पोडेंट द्वारा सेवा चाकरी नहीं कर मकान को हड़पने की नियत से येन केन प्रकारेण अपीलार्थी पर दबाव बनाकर 1/2 हिस्सा और उनके नाम कराने हेतु बाध्य किया जा रहा हैं। अपीलार्थीया के मना करने पर दिनांक 13.10.14 को करीब 1 बजे रेस्पोडेंट एवं उसकी पत्नि श्वेता दोनो ने मुझ अपीलार्थीया को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इनके द्वारा आये दिन मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया जाता रहा हैं। इनके व्यवहार से ऐसा कही प्रकट नहीं होता है कि मैं उनकी मॉ हुॅ। पूर्व में भी इनके द्वारा दबाव एवं विवशता में मकान का 1/2 हिस्सा जरिये दान इनके पक्ष में हस्तान्तरण करवाया हैं। प्लॉट नम्बर 23ए जो मेरी स्वअर्जित सम्पत्ति हैं। जिसमें से 1/2 हिस्सा पूर्व में जरिये दानपत्र से

करवाया गया हस्तान्तरण निरस्त कराया जाना फरमाया जावें एवं भरण पोषण हेतु 10,000/– रूपये मासिक राशि रेस्पोडेंट से दिलाये जाने के भी आदेश करें।

रेस्पोडेंट द्वारा अपीलार्थीया की अपील व उनकी बहस का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अम्बालाल जी परमार अपीलार्थीया के प्रथम पति हैं और मुझ रेस्पोडेंट के पिता भी हैं। अपीलार्थीया के दुसरे पति चन्द्रसिंह जी जैन हैं। जिनके साथ में अपीलार्थीयॉ 17 साल तक रही। जिनसे कोई औलाद नहीं हुई। अपीलार्थीया श्री चन्द्रसिंह जैन को काफी परेशान करने लगी। आये दिन रूपयो हेतु लड़ाई जगड़ा करने लगी। चन्द्रसिंह को भी 2007 में दबाव में लेकर करीब 1 किलो सोना और 1 करोड़ से अधिक की राशि लेकर छोड़ दिया। चन्द्रसिंह जैन के साथ में रहते हुए करीब 2 करोड़ से अधिक की आय अर्जित कर ली। अपीलार्थीया के बैंक में कई खाते हैं। बैंक लॉकर हैं। अपीलार्थीयॉ विपक्षी से अनबन रखती हैं। कभी भी मॉ का स्नेह नहीं दिया। मेरे अतिरिक्त मेरी दो बहने और हैं। उन बहनो के साथ में भी इनका व्यवहार मॉ जैसा नहीं हैं। उनको भी बहुत परेशान किया हुआ हैं। जिस प्लॉट और मकान की बात अपनी अपील में की जा रही है वह प्लॉट मेरे पिता श्री अम्बालालजी द्वारा क्रय किया गया हैं। सिर्फ संरक्षक की हैसियत से अपीलार्थीया का नाम हैं। इस पर निर्माण भी मेरे पिताजी द्वारा ही करवाया गया हैं। कुछ निर्माण मैनें भी करवाया हैं। अपीलार्थीया को हर प्रकार से खुश रखने, उनका ध्यान रखने का पुरा प्रयास रेस्पोडेंट द्वारा किया गया। परन्तु उनके मन में हमारे प्रति कोई जगह ही नहीं हैं। इस उम्र में भी वह तीसरी शादी करना चाह रही हैं। जिसके लिये विपक्षी व उसकी बहनो ने मना किया। जिस वजह से अपीलार्थीया नाराज हैं। उसने यह प्रार्थना पत्र मनगढंत तथ्यो को आधार बना पेश किया हैं। जो मनगढंत, झुठे, मिथ्या, बनावटी व भ्रामक हैं। अपीलार्थीयॉ येन केन प्रकारेण रेस्पोडेंट व उसकी बहनो को नीचे दिखाने के लिये यह कृत्य कर रही हैं। अपीलार्थीया स्वतंत्र विचरण करना चाहती हैं। एवं रेस्पोडेंट को जलील व परेशान करने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। उसकी आर्थिक स्थित को देखते हुए किसी

भी प्रकार की मासिक भत्ते कि आवश्यकता नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा अभी हाल ही एक नयी गाड़ी खरीदी हैं। अतः कृपया अपीलार्थीया की अपील खारीज करना फरमावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दोनो पक्षो द्वारा मिसल में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहन अध्ययन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो को भी देखा गया। दोनो पक्षो द्वारा किये गये कथनो पर मनन किया गया।

दोनो पक्षो को सुनने के पश्चात् न्यायालय का यह मत है कि दोनो पक्ष सम्पन्न परिवार से हैं। अपीलार्थीया द्वारा भरण पोषण संबंधी जो कथन किये गये है वे साबित नहीं होते हैं। भरण पोषण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मुल कारण मॉ एवं पुत्र (दोनो पक्ष) के बीच आपसी मनमुटाव एवं आपसी सामंझस्य नहीं होना हैं। भरण पोषण अधिनियम का मुल उद्धेश्य माता पिता/वरीष्ठ नागरीको को आहार, वस्त्र, निवास और चिकित्सकीय परिचर्चा और उपचार उपलब्ध कराने से संबंधित हैं। इस प्रकरण में अपीलार्थीया सक्षम हैं। जो इस परिभाषा में नहीं आती हैं वे स्वयं अपना भरण पोषण करने में समर्थ हैं।

अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा अपने प्रकरण संख्या 13/14 भरण पोषण निर्णय दिनांक 09.02.16 से दिया गया आदेश सुसंगत होकर विधि में प्रदत्त नियमो के तहत ही दिया गया हैं। जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं हैं।

अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाती हैं।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
**जिला कलक्टर**
**उदयपुर**